न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-16RAAJodhpur2022-09RTA225 Kamladevi Vs State of Rajasthan etc

01. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्रेमसिंह
02. लालसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
दोनो जातियान् राजपुरोहित, निवासीगण- गांव चावण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
2. शैतानसिंह पुत्र श्री पूनमसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी- ग्राम चावण्डा, तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 जनवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर उत्तर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 शैतानसिंह बनाम श्रीमती कमलादेवी इत्यादि

उपस्थित-

श्री त्रिलोक जोशी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री प्रहलादसिंह, श्री करणसिंह अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 शैतानसिंह बनाम कमलादेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 789 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में अपीलांट्स के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्ति का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया का समुचित पालन किये बिना एवं विधिक प्रावधानों का समूचित विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत पारित किया है जो काबिले निरस्त है। रेस्पोडेंट संख्या दो को इस तथ्य की संपूर्ण जानकारी है कि अपीलांट्स एवं उसका परिवार वादग्रस्त भूमि में कृषि कार्य से होने वाली आय पर निर्भर है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी संख्या एक व दो के पूर्वजो के समय से ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख को श्रीमान सिविल न्यायाधीश क.ख. एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-3 के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा राजीव गॉधी पुलिस थाना में अपीलार्थी के विरूद्ध परिवाद पेश किया है, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त माना है। रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जबकि अपीलांट्स द्वारा मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया जा रहा है तथा अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या दो को श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पाबंद करवाया जा चुका है। ऐसे उक्त खसरे पर रिसीवर नियुक्त किये जाने का न कोई औचित्य है तथा न ही आवश्यकता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने कइ निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि रिसीवर की नियुक्ति केवल आवश्यक के मामलों में ही की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य से ही अपीलांट्स की आजीविका चल रही है तथा परिवार का भरण-पोषण चल रहा है। रिसीवर नियुक्ति से अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 30/2021 शैतानसिंह बनाम कमलादेवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड सहखातेदार है। अपीलांट्स द्वारा बंटवाड़े के दावे के विचाराधीन रहते मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जा रहे है तथा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर शांति व्यवस्थात स्थापित करने के उद्धेश्य से प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पत्र को विधिसम्मत रूप से स्वीकार किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 01.12.2021 एवं 28.01.2022 के मुताबिक अपीलांट लालसिंह द्वारा मौके पर पट्टिया रोपे जाने तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्राथमिकी संख्या 197/2021 के मुताबिक पक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके पर विवाद बढने से राजीव गॉधी नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। इन परिस्थितियो में वादग्रस्त भूमि पर मौके पर शांति व्यवस्था बहाल रखे जाने हेतु रिसीवर नियुक्ति का आदेश विधिसम्मत पाया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 जनवरी 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.01.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर